न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम करौली

मु॰नं॰ 59/16 तारीख रजू 02-9-16

पीठासीन अधिकारी श्री जगदीश आर्य R.A.S.

वादी

① मीठ्या पुत्र घंघौली

② ठण्डी पुत्र घंघौली जाति कोली निवासी बीजलवाड़ा तहसील - टोडाभीम जिला - करौली

बनाम

प्रतिवादी

① गुलाब पुत्र बुद्धया

② केदार पुत्र गुलाब

(3) दिनेश पुत्र गुलाब

समस्त जाति जोगी निवासी - बीजलवाड़ा तहसील - टोडाभीम जिला - करौली

प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

वादी वकील — श्री राधारमण शर्मा

प्रतिवादी वकील — श्री सुनील कुमार जिन्दल

निर्णय

दिनांक 12-1-2017

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि आराजी ख॰नं॰ 356 रकबा 5 ऐयर, 357 रकबा 30 ऐयर, 358 रकबा 1 ऐयर, 361 रकबा 36 ऐयर 390 रकबा 22 ऐयर, 391 रकबा 8 ऐयर, 392 रकबा 6 ऐयर, 392/552 रकबा 12 ऐयर, 393 रकबा 10 ऐयर कुल किता 9 कुल रकबा 1-29 हे॰ स्थित ग्राम बीजलवाड़ा तहसील टोडाभीम जिला करौली में है। यह कि सायलान उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार है अपने हिस्से के अनुसार ही उक्त आराजीयात को साल दर साल काश्त करते चले आ रहे है। यह कि सायलान की उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद न 2 के प्रार्थना पत्र से गैरसायलान नं॰ 1 ता 3 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। गैरसायलान मुठमर्द व लड़ुवाले तथा पैसेवाले व्यक्ति है जो आये दिन सायलान के हिस्से की आराजीयात पर बिना किसी कारण कब्जा करने की फिराक में रहते है तथा अपने हिस्से की आराजीयात पर काश्त करने में तथा उसके उपयोग उपभोग में व्यवधान पैदा करते - लगातार

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

रहते है। वाका दिनांक 1-8-16 को सुबह लगभग 8 बजे का है जब सायलान अपनी उक्त आराजीयात मुतजिका मदन 2 प्रार्थना पत्र में आगामी फसल बोने हेतु तैयार कर रहे थे कि प्रतिवादीगण नं. 1 ता 3 बदमाश लोगो को जिनके हाथो में लाठी डण्डे थे लेकर उक्त आराजीयात पर आ गये और कहने लगे कि इस जमीन को तुम काफी दिनो से बोते जोतते आ रहे हो। अब हम इसे कब्जे में लेकर भूमाफियो को विक्रय करेगे, यदि तुमने कब्जा करने की कोशिश की तो तुम्हे जान से मार देगे। इसलिए गैरसायलान के विरूद्व प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। यदि गैरसायलान अपने इस उद्देश्य में सफल हो गये तो सायल को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से सम्भव नही है। अत गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीगण की तामिल स्वंय को न होकर पुत्र के द्वारा तामिल होना अंकित किया गया है। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एड० ने 1 ता 3 का वकालतनामा पेश किया। जवाब इस प्रकार पेश किया कि सायलान दिनांक 31-8-16 को 8 बजे गैरसायलान नं. 1 ता 3 सायलान की जमीन पर आये हो व कब्जा लेकर भूमाफियो को विक्रय करने की धमकी दी हो। बल्कि सायलान ने गैरसायलान के विरूद्व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर न्यायालय में स्टे लेकर सरकारी भूमि ख. नं 396 रकबा 11 ऐयर जो सायलान की भूमि ख. नं. 387, 393 के पास स्थित है पर कब्जा करने की फिराक में है। इसलिए सायलान द्वारा अनावश्यक रूप से गैरसायलान नं 1 ता 3 को पक्षकार बनाया है। प्रार्थना पत्र सायलान का खारिज योग्य है। सायलान का प्राईमाफेसी केश साबित नही है। इसलिए गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति इन टर्मस आफ मनी से भी सम्भव नही है। विशेष विवरण इस प्रकार से है कि सायलान ने गैरसायलान नं 1 ता 3 के विरूद्व गलत प्रार्थना पत्र

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

(9)

प्रस्तुत किया। झूठा प्रार्थना पत्र पेश करने के माध्यम से सायलान खांय की खातेदारी की भूमि ख.न. 357, 393 के पास स्थित सरकारी भूमि जिसका ख.न. 396 रकबा .11 एयर है। उस पर कब्जा करना चाहते है। एवं न्यायालय के माध्यम से गैरसायलान को फंसाना चाहते है। जिसकी सायलान को कानूनन इजाजत नही दी जा सकती इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

हमने प्रार्थी व अप्रार्थीगण के वकीलो की बहस सुनी। प्रार्थी वकील ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि से अप्रार्थीगण का कोई भी किसी प्रकार का सम्बन्ध नही है। ये अनावश्यक रूप से कब्जे काश्त में व्यवधान उत्पन्न करते है। इसलिए गैरसायलान को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। गैर सायलान के वकील ने कथन किया कि सायलान ने झूठा व गलत प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायलान खांय की भूमि ख.न 357, 393 के पास की सिवायचक भूमि ख.न 396 रकबा .11 एयर पर कब्जा करना चाहते है एवं न्यायालय के माध्यम से फंसाना चाहते है। इसलिए प्रार्थना पत्र सायलान खारिज फरमाया जावे। बहस के प्रति कथन में प्रार्थी वकील ने कथन किया कि सिवायचक भूमि से हमारा कोई सम्बन्ध नही है बल्कि गैरसायलान सिवायचक भूमि पर कब्जा करना चाहते है। श्रीमान दोनो पक्षकारान को सिवायचक भूमि ख.न 396 रकबा .11 एयर पर अतिक्रमण नही करने के लिए पाबन्द फरमादे तो हमे कोई आपत्ति नही है।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी गयी। मनन किया। सारांश इस प्रकार से है कि सायलान की भूमि ख.न 357, 393 के पास ख.न 396 रकबा .11 एयर जमीन है जो कि सिवायचक भूमि है। सायलान की खातेदारी भूमि ख.न. 356/4 एयर, 357/30 एयर, 358/1 एयर, 361/36 एयर, 390/22 एयर, 391/8 एयर, 392/6 एयर, 392/552 / 12 एयर, 393/10 एयर कुल किता 9 कुल रकबा 1.29 है।

जिला कलेक्टर ... (करौली)

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

के हिस्सा 1/6 में गैरसायलान का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए गैरसायलान को सायलान के हिस्से तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न करे। तथा मुख्य विवाद ख.नं. 396/11 एयर जो कि सिवाय चक भूमि है में सायलान व गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है कि कोई भी पक्ष इस सिवाय चक भूमि पर अतिक्रमण व कब्जा न करे। तहसीलदार टोडाभीम को निर्णय की प्रति भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 12-1-17 को लिखाया जाकर न्यायालय में सुनाया गया।

जगदीश आर्य
उपजिला कलक्टर
टोडाभीम

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

उप जिला कलक्टर